न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 185 / 2024(GCMS : 2024/268)

Indian Bank (Allahabad) , Shah Complex, Opp. S.D. College, Sri Ganganagar

बनाम

1. **M/s Shri Shyam Seeds (Partnership Firm Borrower)** address Shop No. 28, W.No. 1, Bishnoi Mandir, Sadhuwali Sri Ganganagar (Raj.) 335001 **Godown/plant Address** 1 D Chhoti Near Govt. School, Abohar, Hanumangarh Bypass Road, Sadhuwali Sri Ganganagar (Raj.)
2. **Rakesh Kumar** S/o Indraj (Partner/borrower/Guaranter) **Address** Ward No. 13, Sadhuwali , Village 4D Chotti Post Office Sadhuwali Sri Ganganagar -335001
3. **Liladhar Lila** S/o Deen Dayal Lila (Partner/borrower/Guaranter) Address House No. 138, Ward No. 12, Choudhary Moti Ram ke Pass. Leela Chowk Purani Abadi, Sri Ganganagar (Raj_ 335001
4. **All Legal Heirs of Late Sh. Deen Dayal** S/o Sh. Hira Lal Lila (Guarantor/Mortgagor) Address H.No. 448, Ward No. 10, Leela Chowk, Purani Abadi, Sri Ganganagar(Raj.) 335001, Dist- Sri Ganganagar
5. **Kaushalya Devi** D/o Krishan Lal & W/o Mahaveer Prasad (Guarantor/Mortgagor) Address Patta No. 75,Ward No. 1, VPO Sadhuwali Sri Ganganagar(Raj.) 335001

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.05.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स श्याम सीड्स, को ऋण सुविधा के रूप में 40.00/- लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 12.04.2018 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 16.05.2024 को 63,76,987/-रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी दीन दयाल एवं कौशल्या देवी द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति क्रमशः Lease Deed Patta No. 24 dated 29.11.2012 issued by Nagar Parishad Sri Ganganagar, Registered on dated 10.12.2012 in Book No. 1, Volume No. 1138, Page No. 127, Serial No. 2012010207 and additional Book No. [illegible], Volume [illegible], Pasted on page No. 166 to 168 in the Office of Sub Registrar S[illegible]at Ahata No. (House No.) 448, Ward No. 10/32, Purani Abadi Sri Ganganagar, Admeasuring [illegible] Sq. (Bounded as : East– Mahadev Prasad,West– Huka[illegible]chand, Notrh – Dha[illegible]ala,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

South – Road) and Residential Patta No. 75, Book No. 452 dated 15.12.2017 issued by Gram Panchyat Sadhuwali, Tehsil/District Sri Ganganagar through Sarpanch/ Secretary, Registered in the Office of sub Registrar, Sri Ganganagar in Book No. 1, Vol, No. 1375 Page No. 70 Sr, No. 201803103100100, additional Book No. 1, Vol. No. 1375 Page No. 70 Sr. No. 201803103100100 additional Book No. 1, Vol No. 2989, Page No. 176 to 181 dated 03.01.2018 admeasuring 3045 Sq.ft. (Bounded as : East – Street, West – Adhwini Kumar, North – Road, South – Mahaveer Prasad), का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी मैसर्स श्याम सीड्स आदि** को 40.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये चालीस लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 12.04.2018 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणियों दीनदयाल एवं कौशल्या देवी **द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी** सम्पत्ति क्रमशः **Lease Deed Patta No. 24 dated 29.11.2012 issued by Nagar Parishad Sri Ganganagar, Registered on dated 10.12.2012 in Book No. 1, Volume No. 1138, Page No. 127, Serial No. 2012010207 and additional Book No. 1, Volume No. 2041, Pasted on page No. 166 to 168 in the Office of Sub Registrar Sri Ganganagar situated at Ahata No. (House No.) 448, Ward No. 10/32, Purani Abadi Sri Ganganagar, Admeasuring 99.13 Sq. (Bounded as : East– Mahadev Prasad,West– Hukamchand, Notrh – Dharamshala, South – Road) and Residential Patta No. 75, Book No. 452 dated 15.12.2017 issued by Gram Panchyat Sadhuwali, Tehsil/District Sri Ganganagar through Sarpanch/ Secretary , Registered in the Office of sub Registrar, Sri Ganganagar in Book No. 1, Vol, No. 1375 Page No. 70 Sr, No. 201803103100100, additional Book No. 1, Vol. No. 1375 Page No. 70 Sr. No. 201803103100100 additional Book No. 1, Vol No. 2989, Page No. 176 to 181 dated 03.01.2018 admeasuring 3045 Sq.ft. (Bounded as : East – Street, West – Adhwini Kumar, North – Road, South – Mahaveer Prasad)** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 28.12.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन. पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 17.05.2024 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 21.05.2024 को भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप कौशल्या देवी का ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के तामील न होने की रिपोर्ट के Envalop उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) की तामील नहीं हुई।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणियों लीलाधर एवं कौशल्या देवी की दृष्टि बंधक रखी गई सम्पत्ति क्रमशः **Lease Deed Patta No. 24 dated 29.11.2012 issued by Nagar Parishad Sri Ganganagar, Registered on dated 10.12.2012 in Book No. 1, Volume No. 1138, Page No. 127, Serial No. 2012010207 and additional Book No. 1, Volume No. 2041, Pasted on page No. 166 to 168 in the Office of Sub Registrar Sri Ganganagar situated at Ahata No. (House No.) 448, Ward No. 10/32, Purani Abadi Sri Ganganagar, Admeasuring 99.13 Sq. (Bounded as : East– Mahadev Prasad, West– Hukamchand, Notrh – Dharamshala, South – Road) and Residential Patta No. 75, Book No. 452 dated 15.12.2017 issued by Gram Panchyat Sadhuwali, Tehsil/District Sri Ganganagar through Sarpanch/ Secretary , Registered in the Office of sub Registrar, Sri Ganganagar in Book No. 1, Vol, No. 1375 Page No. 70 Sr, No. 201803103100100 additional Book No. 1, Vol. No. 1375 Page No. 70 Sr. No. 201803103100100 additional Book No. 1, Vol No. 2989, Page No. 176 to 181 dated 03.01.2018 admeasuring 3045 [illegible] ft. (Bounded as : East – Street, West – Adhwini Kumar, North – Road, South – Mahaveer Prasad),**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबंध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 17.05.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 17.05.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण मैसर्स श्याम सीड्स, राकेश कुमार, लीलाधर, मृतक दीनदयाल के उत्तराधिकारी एवं कौशल्या देवी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 21.05.2024 भिजवाये गये है, धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की पोस्ट ऑफिस की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति परिणामस्वरूप कौशल्या देवी का पोस्ट ऑफिस का ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अप्रार्थी कौशल्या देवी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है तथा शेष अप्रार्थी मैसर्स श्याम सीड्स, राकेश कुमार, लीलाधर के धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त न होने की रिपोर्ट के लिफाफे पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त नहीं हुए है। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन दो समाचार पत्रों पंजाब केसरी एवं बिजनैस स्टैण्डर्ड में दिनांक 24.05.2024 को प्रकाशन करवाया है। वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 के **अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस जारी करने पर यदि अप्रार्थीगण ऋणियों पर नोटिस की तामील नहीं होती** है और अप्रार्थीगण नोटिस की तामील से बचने का प्रयास करते है तो नोटिस की प्रति उनके निवास स्थान पर चस्पा कर, दो समाचार पत्रों में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाना आवश्यक होता है **परन्तु प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस का रजिस्टर्ड डाक से तामील न होने पर, अप्रार्थीगण के निवास स्थान पर चस्पा किये बिना ही धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में में करवाया है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि ऋणी अप्रार्थी दीन दयाल की मृत्यु दिनांक का कहीं अंकन नहीं किया गया है और न ही मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है, जिससे यह ज्ञात नहीं होता की प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 13(2) नोटिस अप्रार्थी दीन दयाल की मृत्यु से पूर्व जारी किया गया है अथवा बाद में।

हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार की धारा 8 निम्नानुसार अवलोकनीय है :

> पुरूष की दशा में उतराधिकारी के साधारण नियम : निर्वसीयत मरने वाले हिन्दु पुरूष की सम्पत्ति इस आधार पर उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगीः
>
> (क) प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी है।
>
> (ख) द्वितीयतः , यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विर्निदिष्ट सम्बन्धी है
>
> ....

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार अनुसूची के वर्ग 1 अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी माता, पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि उसके उत्तराधिकारी की श्रेणी में आते है। इस प्रकरण में मृतक दीन दयाल की मृत्यु के पश्चात उसके समस्त उत्तराधिकारियों रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक था। **इस सम्बन्ध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का प्रकरण संख्या डब्ल्यूपी नं. 27230 / 2009 अनवान् एस. सुहैना बानो वगै. बनाम इण्डियन बैंक, एआरएम ब्रांच वगै. निर्णय दिनांक 01.12.2010** अवलोकनीय है। [illegible] संख्या 27230 / 2009 के निर्णय अनुसार मृतक ऋणी / [illegible] धारा 13(2) का नोटिस उक्त नियम 2002 के नियम 3 के अनु[illegible] [illegible]ई जाएगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

चूंकि प्रार्थीगण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 17.05.2024 अप्रार्थीगण मैसर्स श्याम सीड्स, राकेश कुमार, लीलाधर, मृतक लीलाधर के उत्तराधिकारी एवं कौशल्या देवी को जारी कर रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है तथा **अप्रार्थी ऋणी स्व. दीन दयाल के समस्त उतराधिकारियों को पक्षकार नही बनाया गया है और न ही उन्हें** धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस जारी किया गया गया है जो उक्त **THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002** के **RULE 3** के तहत मान्य नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी स्व. दीन दयाल के समस्त उतराधिकारियों को पक्षकार न बनाकर एवं धारा 13(2) के नोटिस जारी न कर तामील के सम्बन्ध में अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारो की अवहेलना की है

माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड ने **2012 Cr. I.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr** के पैरा–13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

> **13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (19[illegible]) [illegible]C 264; and karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ma[illegible]ulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manjur
Date: 2025.07.23 15:54:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी इण्डियन बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 में अप्रार्थी ऋणी के समस्त उत्तराधिकारियों को पक्षकार न बनाये जाने के कारण एवं समस्त अप्रार्थीगण को नोटिस की विधिक तामील न करवाने के कारण और माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान रखते हुए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रार्थी बैंक का** धारा 14 का प्रार्थना पत्र **स्वीकार नहीं किया जा सकता।** प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए धारा 13(2) के नोटिस सपठित नियम 3 की पालना करते हुए ऋणी के **समस्त उतराधिकारियों को पक्षकार बनाकर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से करते हुए पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:54 IST
Reason: SelfAttested